

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमशारमगढ़ जयपुर

बनाम

मलमुद्दीन चण्ड

स-तार

/ 20

दिनांक / वर्ष

२२/२०२२

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
२२/२/२२	<p>प्राथमिकी आज्ञा वादी ने जमिनी वकील विद्वा प्रथिना पत्र प्रस्तुत करने पर तबूक की गई। वकील वादी ने विद्वा प्रथिना पत्र प्रस्तुत कर सिवेदन किया कि उक्त मुकदमा प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं है अतः उक्त प्रकरण में न्यायाधीन वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी कपनी कोर से प्रस्तुत वाद को आज्ञा नहीं चलाया जाएगा अतः उक्त वाद का विद्वा करने हेतु आज्ञा प्रदान का निराकरण करने करने की आज्ञा की। वकील वादी को विद्वा प्रथिना पत्र सुना जाकर वादी को वाद विद्वा करने की स्वीकृति दी जाएगी अतः उक्त वादी का वाद विद्वा कर ली जायेगा।</p> <p>प्राथमिकी प्रभावली के तहत सुनार चैवल गजल से कोर दी जाये</p>	२२/२/२२

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमशारमगढ़ जयपुर